निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1932 (श0)

(सं0 पटना 661) पटना, बुधवार, 8 सितम्बर 2010

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

3 सितम्बर 2010

सं0 निग/सारा–1 (पथ) विविध–5/2009–13224(एस)—श्री अरविन्द कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सरमेरा एट मोकामा, पथ प्रमंडल पटना सिटी, सम्प्रति नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के विरुद्ध अपने निर्धारित मुख्यालय में नहीं रहने, पथों के किनारे फलदार वृक्षों की निलामी में अनियमितता बरतने एवं अधीनस्थ तथा वरीय पदाधिकारियों के प्रति मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं करने संबंधी बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी, पथ प्रमंडल गुलजारबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रपत्र ''क'' में आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक 7461 (एस), दिनांक 20 मई 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के पत्रांक–114, दिनांक 22 जून 2000 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से निर्धारित मुख्यालय में नहीं रहने संबंधी आरोप संख्या 1 के संबंध में अपने निर्धारित मुख्यालय मोकामा में ही नियमित रूप से रहने तथा इसी आलोक में नियमित वेतन भुगतान होने, कार्यपालक अभियंता की सहमति से मुख्यालय छोड़ने का उल्लेख किया गया है। निलामी में अनियमितता से संबंधित आरोप संख्या 2 के संबंध में फलदार वृक्षों में उस वर्ष फलों की अनुकूल स्थिति नहीं रहने के कारण डाक नहीं होने, श्री अनिल सिंह द्वारा लिखे पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह के नाम अधिकतम बोली होने की अवधारणा को पूर्णतः निर्मूल बताया गया। अपने अधीनस्थ एवं वरीय पदाधिकारियों के प्रति मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं करने से संबंधित आरोप संख्या 3 के संबंध में आरोप को अस्पष्ट एवं अनिर्दिष्ट होने, किसी दृष्टांत एवं विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण निराधार होने का उल्लेख किया गया है।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा ही आरोप संख्या 1 के संबंध में मूलतः इनके मुख्यालय में नहीं रहने की सूचना दी गयी है और उनका अब यह कहना विरोधाभाषी है कि कार्यपालक अभियंता की सहमति से मुख्यालय छोड़ते है। वेतन भुगतान हो जाने से, मुख्यालय में नियमित उपस्थिति अथवा मुख्यालय मोकामा में रखे जाने का कोई प्रत्यक्षतः संबंध नहीं होता है। इस हेतु मुख्यालय में रहने के लिए इन्होंने सहायक अभियंता के सरकारी आवास के क्षतिग्रस्त होने एवं किराये के मकान में रहने का भी बहाना बनाया है।

4. आरोप संख्या 2 के संबंध में इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये छायाप्रति से स्पष्ट होता है कि इन्होंने निलामी कार्य से अपने को बचाने का दुष्प्रयास किया । निलामी नहीं होने से राजस्व की क्षति हुई है यह निर्विवाद है।

5. आरोप संख्या 3 के संबंध में किसी स्पष्ट और निर्दिष्ट उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। यह सरकारी कार्यों के दिन–प्रतिदिन के कार्यो में ही अधीनस्थ एवं उच्चस्थ पदाधिकारियों के साथ व्यवहार में झलकता हैं। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से प्राप्त पत्र एवं इसके साथ प्राप्त अनुलग्नक इसके यथेष्ट प्रमाण है।

6. श्री कुमार द्वारा तीनों आरोपों के संबंध में कहीं गयी बातें पूरी तरह मन–गढंत, दिग्भ्रमित एवं आरोपों से बचने का एक सोचा–समझा बहाना मात्र है। इस प्रकार श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार निम्न सजा संसूचित की जाती है :–

(क) आरोप वर्ष के लिए निन्दन एवं

(ख) दो वेतन–वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)–अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 661-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in